**कल्याण मंत्रालय में उप मन्त्री (श्रीमती सुमति ओरांव)** : (क) जहां तक कल्याण मंत्रालय का संबंध है स्वयंसेवी संगठनों को निम्नलिखित क्षेत्रों में सहायक अनुदान दिये जाते हैं :--

1. अनुसूचित जातियों का कल्याण
2. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण
3. सुरक्षा और देखभाल की आवश्यकता वाले बच्चों का कल्याण
4. मद्यनिषेध और नशीले पदार्थों के दुरुपयोग पर नियंत्रण करना
5. वृद्धों का कल्याण
6. विकलांगों का कल्याण

(ख) कल्याण मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली विभिन्न योजनाओं के लिए विभिन्न मापदंड निर्धारित किये गए हैं। फिर भी, एक स्वयंसेवी संगठन को अन्य बातों के साथ-साथ मूल आवश्यकताएं पूरी करनी होती हैं :--

(i) संगठन को समिति पंजीकरण अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत होना चाहिए।

(ii) संगठन सामान्यतः अखिल भारतीय स्तर का होना चाहिए।

(iii) संगठन को दो वर्ष से अधिक समय तक कार्यरत होना चाहिए।

(iv) संगठन को संबंधित क्षेत्र में अनुभव होना चाहिए।

(v) संगठन की सेवाएं, जाति, रंग और धर्म के भेदभाव किए बिना सभी को उपलब्ध होनी चाहिए।

(vi) संगठन को परियोजना की कुल लागत का कुछ हिस्सा अपने स्रोतों से पूरा करना चाहिए।

(ग) धनराशि का उचित उपयोग सुनिश्चित करने के लिए स्वयंसेवी संगठनों से उनको दिये गए सहायक अनुदान के संबंध में लेखों का लेखा परीक्षित विवरण और उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए अनुरोध किया जाता है। संगठनों के लेखाओं और कार्य का कल्याण मंत्रालय के अधिकारियों और राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश प्रशासनों के अधिकारियों द्वारा समय-समय पर जांच और निरीक्षण किया जा सकता है।

**Removal of Encroachments in Yamuna Vihar**

328. SHRI SHANKER SINH VAGHELA: Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) the progress of the action already initiated by November 2, 1988 to remove the encroachments adjoining the Pockets C-10, C-11 in the Yamuna Vihar Scheme, Delhi as was also assured in the letter No DDA/CE|IP|1|85|182 dt. 7-8-85 from the Chief Engineer, DDA (Land Protection);

(b) the pocketwise details of the encroachments so removed and the dates of removal; and

(c) whether as a short-term measure, construction of a boundary wall was considered and if so, with what results?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI DALBIR SINGH): (a) and (b) DDA has reported that a programme for removal of encroachment was made. However, the same could not materialise due to non availability of Police Force.

(c) No, Sir.

**Intruptions to AIR and Doordarshan following Bombay High Court's ruling on censorship or views**

329. SHRI LAL K ADVANI: Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to refer to the answer to Unstarred Question 2251 given in the Rajya Sabha on the 12th August, 1988 and state:

(a) The exact instructions that have been issued to the All India Radio and

Doordarshan authorities in consonance with the Bombay High Court's ruling in June, 1988 that censorship or distortion of views expressed by citizens who are interviewed by All India Radio and Doordarshan authorities, is a violation of Article 19 of the Constitution; and

(b) whether complaints of distortion have again been reported in the Press or received by Government; if so, the details thereof?

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND THE MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI H. K. L. BHAGAT): (a) The Station Directors of all India Radio and the Director of Doordarshan Kendra have been informed about the purport of the Judgement of the Bombay High Court for information and guidance

(b) No such complaint has come to the notice of the Government.

330. [Transferred to the 1st March, 1989].

**बाल श्रमिक कल्याण योजना**

331. **श्री मन्तोष बागड़ोदिया** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बाल श्रमिक कल्याण के लिये कौन-कौन सी योजनाएं क्रियान्वित की गई हैं ; और

(ख) उनका ब्यौरा क्या है और राज्यवार ऐसी योजनाओं में कितनी सफलता प्राप्त हुई है ?

**श्रम संत्रालय में उप मंत्री तथा संपदीय कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री राधाकृष्ण मालवीय)** : (क) और (ख) बाल श्रमिकों के लाभ के लिए इस समय निम्नलिखित योजनाएं लागू की जा रही हैं :—

(i) स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान सहायता प्रदान करने की योजना जिसमें बाल कर्मकारों को लाभ पहुंचाने के लिए स्वैच्छिक संगठनों को परियोजनाओं को चलाने में परियोजना लागत के 75% तक की सहायता प्रदान करने की व्यवस्था है । ये परियोजनाएं सामान्यतया केन्द्रों के रूप में हैं जो कि अनौपचारिक शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण पूरक पोषण, स्वास्थ्य देखरेख आदि की व्यवस्था कर रहे हैं ।

(ii) राष्ट्रीय बाल श्रम नीति के अंतर्गत परियोजनाओं की एक स्कीम बाल श्रमिक की घनी आबादी वाले क्षेत्रों में शुरू की गई है । इसकी पूर्ण वित्तीय व्यवस्था सरकार करती है । इन परियोजनाओं में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित का ध्यान रखा जाता है :—

1. बाल श्रम (प्रतिषेध तथा विनियमन) अधिनियम तथा बाल श्रम से संबंधित अन्य विधानों के प्रवर्तन को तेज करना ।
2. बाल श्रमिकों के परिवारों को आय/रोजगार सृजन कार्यक्रमों के अंतर्गत लाना ।
3. अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों के जरिए अनौपचारिक शिक्षा प्रदान करना तथा बाल कर्मकारों को अनौपचारिक शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, पूरक पोषण, दवाफा तथा स्वास्थ्य देख-रेख प्रदान करने के लिए विशेष स्कूलों की स्थापना करना ।
4. बाल श्रमिकों की समस्याओं के बारे में जन चेतना जागृत करना ।

(iii) प्रवर्तन तंत्र को सुदृढ़ बनाने की योजना को चार राज्यों में प्रायोगिक आधार पर प्रारंभ किया जाना है । इस योजना पर व्यय को 50 : 50 आधार पर केन्द्रीय सरकार तथा संबंधित राज्यों द्वारा वहन किया जाना है । इस योजना के अंतर्गत अभी हाल में ही दो राज्यों को निधियों की मंजूरी दी गई है ।

राष्ट्रीय बाल श्रम नीति के अधीन अभी तक आठ परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है । इनमें से तमिलनाडु में एक, राजस्थान में एक,